मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) की दिनांक 18 जून, 2015 को आयोजित अठारहवीं बैठक का कार्यवृत्त।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (R.K.V.Y.) की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एस0एल0एस0सी0) की 18वीं बैठक दिनाँक 18, जून 2015 को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन के साथ–साथ भारत सरकार के संयुक्त सचिव डॉ0 आशीष कुमार भूटानी द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसके अतिरिक्त कृषि सेक्टर के विभागों यथा कृषि, पशुपालन, उद्यान, डेयरी, सिंचाई, लघु सिंचाई, मत्स्य, सहकारिता, रेशम के प्रमुख सचिवों एवं विभागाध्यक्षों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। कृषि विविधीकरण एवं कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों/प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रमुख सचिव, कृषि द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए एजेण्डानुसार बैठक का प्रारम्भ किया गया। समिति को अवगत कराया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में भारत सरकार द्वारा आर0के0वी0वाई0 के फंडिंग पैटर्न में बदलाव करते हुए ने 50:50 (केन्द्रांश : राज्यांश) कर दिया गया है। समिति को यह भी अवगत कराया गया कि गत वर्ष की अप्रयुक्त धनराशि रू0 185.39 करोड़ में से रू0 144.94 करोड़ को भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए पुनर्वेध कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा पुनर्वेध की गई धनराशि को पुराने फंडिंग पैटर्न यथा शत–प्रतिशत के आधार पर व्यय करने की सहमति प्रदान कर दी गई है। बैठक में एजेण्डावार लिए गए निर्णयों/निर्देशों का विवरण निम्नवत् है:

HDA (SC)
Kvy cell

7-7-15
कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश

एजेण्डा–1:– समिति की गत बैठक दिनांक 19.02.2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि

1.1 प्रमुख सचिव, कृषि द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की गत बैठक दिनाँक 19.02.2015 को समपन्न हुई थी, जिसका कार्यवृत्त पत्र सं0–396/12–3–2012–199/2007 दिनांक 10.03.2015 के द्वारा समिति के समस्त सदस्यों एवं कार्यदायी विभागों को उपलब्ध कराया जा चुका है। जारी कार्यवृत्त के संबंध में किसी भी स्तर से कोई सुझाव/आपत्ति प्राप्त नहीं हुई हैं। तद्नुसार समिति द्वारा गत बैठक दिनांक 19.02.2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा–2:– गत बैठक दिनांक 22.05.2014 में लिए गए निर्णयों पर परिपालन आख्या

2.1 समिति को अवगत कराया गया कि गत बैठक के कार्यवृत्त में इंगित बिन्दुओं पर सामान्यतः परिपालन करा लिया गया है। समिति द्वारा बिन्दुवार परिपालन की स्थिति का संज्ञान लिया गया।

एजेण्डा– 3:– वर्ष 2014–15 की स्थिति

3.1 राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 589.47 करोड़ तथा विगत वर्ष की अप्रयुक्त पुनर्वैधित धनराशि रू0 122.34 करोड़ को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 711.81 करोड़ की धनराशि की उपलब्धता रही। प्रदेश स्तर से विभिन्न कार्यदायी विभागों के पक्ष में रू0 610.99 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत की गईं। निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष रू0 526.41 करोड़ (86.16 प्रतिशत) का व्यय हुआ है तथा रू0 185.39 करोड़ की धनराशि अनस्पेन्ट रह गई। विभागवार निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष व्यय का विवरण निम्नवत् है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं.	विभाग / संस्था का नाम	निर्गत वित्तीय स्वीकृति	व्यय	व्यय प्रतिशत
1	कृषि	30144.59	26558.61	88
2	कृषि वित्त निगम	1464.86	1374.04	94
3	कृषि प्रबंध संस्थान	210.90	105.45	50
4	गन्ना	5470.00	5370.52	98
5	डास्प	4537.00	3475.62	77
6	बीज प्रमाणीकरण संस्था	71.24	71.24	100
7	पशुपालन	1452.15	1016.18	70
8	पी0सी0डी0एफ0	2050.00	500.00	24
9	उद्यान	1240.03	707.59	57
10	रेशम	130.00	129.60	99
11	लघु सिंचाई	4707.17	4225.10	90
12	सिंचाई (यॉंत्रिक / सिविल)	1000.00	980.00	98
13	मत्स्य विकास निगम	150.00	150.00	100
14	सैनिक पुनर्वास निधि प्रक्षेत्र	32.55	32.55	100
15	मत्स्य	588.11	459.77	78
16	सहकारिता	7000.00	6700.10	96
17	कृषि वि0वि0 एवं शोध संस्थाएं	532.30	499.35	94
18	प्रशासनिक	317.97	285.24	90
	कुल योग	**61098.87**	**52640.96**	**86**

समिति द्वारा उक्तानुसार विभागवार प्रगति की समीक्षा की गई तथा इंगित किया गया कि सामान्यतः योजना की समग्र प्रगति 86 प्रतिशत संतोषजनक है। कतिपय विभागों यथा–उद्यान, मत्स्य, पशुपालन विभाग द्वारा संचालित उपयोजनाओं की कम प्रगति के सम्बन्ध में समिति द्वारा अपेक्षा की गई कि वर्ष 2015–16 में प्रस्तावित कार्यों का शत–प्रतिशत निष्पादन कराते हुए धनराशि का उपयोग सुनिश्चित कराया जाए।

3.2 समिति के समक्ष गतवर्ष की अप्रयुक्त धनराशि रू0 185.39 करोड़ का प्रस्तुतीकरण किया गया जिसका स्ट्रीमवार/उपयोजनावार विवरण निम्नवत् है :–

3.2.1 Unspent balance against revalidated amount of 2013-14

Details	Unspent balance	Revalidated Amt.	Expn. (2014-15)	Unspent balance
I- Normal RKVY	**976.31**	**976.31**	**976.31**	
II- Sub Scheme				
1- Extending green revolution in Eastern districts of U.P (BGREI)	**2200.14**	**2200.14**	**2200.14**	
2- Initiative for Nutritional Security through intensive Millet Promotion (INSIMP)	**3.78**	**3.78**	**3.78**	
3- Pilot scheme on Nutri Farms	**1840.62**	**1840.62**	**1728.84**	**111.78**
4- Accelerated Fodder Dev. Programme	**700.28**	**700.28**	**51.80**	**648.48**
5-Integrated development of 60000 pulse villages				
i- Accelerated Pulse Production Programme	**140.84**	**0.00**		
ii- Small Farmers Agri-Business Consortium	**280.00**	**0.00**		
Sub Total (Pulse)	**420.84**	**0.00**		
6- Veg. initiative for urban clusters (VIUC)	**865.81**	**0.00**		
7- Crop Diversification Programme	**6275.00**	**6275.00**	**3475.62**	**2799.38**
8- National Mission for Protein Supplements				
i- Reservoir Fisheries dev.	345.37	0.00		
ii- Pig Development Scheme	66.82	0.00		
iii- Goatery Scheme	237.63	237.63	237.63	**0.00**
Sub Total (NMPS)	**649.82**	**237.63**	**237.63**	**0.00**
Sub Total (Sub-scheme)	**12956.29**	**11257.45**	**7697.81**	**3559.64**
Total (Unspent balance)	**13932.60**	**12233.76**	**8674.12**	**3559.64**

3.2.2. Unspent balance against releases under RKVY for the year 2014-15

Details	Allocation	Centeral Release	Expn.	Unspent balance
B- Normal RKVY	**46393.00**	**43197.00**	**35808.57**	**7388.43**
C-Sub scheme				
1. Vegetable Initiative for Urban Cluster (VIUC)	800.00	400.00	12.87	**387.13**
2.National Mission for Protein Supplements (NMPS)				
i- Special Dairy development Programme	235.54	0.00	0.00	**0.00**
ii- Reservoir fisheries dev.	345.37	173.00	54.92	**118.08**
iii- Pig Development Scheme (AH)	181.46	91.00	36.48	**54.52**
iv- Goatery Scheme (AH)	237.63	119.00	0.00	**119.00**
Sub Total (NMPS)	**1000.00**	**383.00**	**91.40**	**291.60**
3. Crop Diversification Programme	7500.00	3750.00	0.00	**3750.00**
4. Bringing Green Revolution to Eastern India	14800.00	11000.00	8054.00	**2946.00**
5. Addl. Fodder Development Programme	433.00	216.50	0.00	**216.50**
Total (Sub Schemes)	**24533.00**	**15749.50**	**8158.20**	**7591.30**
Total (B+C)	**70926.00**	**58946.50**	**43966.71**	**14979.79**
Unspent balance (A)	**13932.60**	**12233.76**	**8674.12**	**3559.64**
Total (A+B+C)	**84858.60**	**71180.26**	**52640.96**	**18539.30**

3.3 **लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति** :– योजनान्तर्गत कतिपय विभागों/संस्थाओं के स्तर पर विभिन्न वर्षों (2008–2014) के रू0 1892.55 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक लम्बित हैं। समिति द्वारा विभागवार लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति का संज्ञान लेते हुए निम्नवत् निर्देश दिए गए :–

(धनराशि रू0 लाख में)

विभाग/संस्था का नाम	लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र	अभियुक्ति
पी0सी0डी0एफ0	**840.07**	वर्ष 2008–14 के सापेक्ष रू0 840.07 लाख के लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए कि नोडल विभाग को उपलब्ध कराए गए उपयोगित प्रमाण पत्रों का मिलान कराते हुए लम्बित धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करा दिए जाएं।

विभाग / संस्था का नाम	लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र	अभियुक्ति
सहकारिता	475.59	वर्ष 2011–12 की लम्बित धनराशि रू0 475.59 लाख नोडल विभाग को वापस करने के निर्देश दिये गये।
गन्ना	18.32	वर्ष 2013–14 के सापेक्ष रू0 18.32 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
पशु चि0वि0वि0 मथुरा	6.00	वर्ष 2013–14 के सापेक्ष रू0 6.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
बनारस हिन्दू वि0वि0, वाराणसी	291.75	वर्ष 2013–14 के सापेक्ष रू0 291.75 लाख के सम्बन्ध में वि0वि0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि धनराशि का उपयोग करा लिया गया है तथा वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र शीध्र ही उपलब्ध करा दिए जाएगें। समिति द्वारा अपेक्षा की गई कि वि0वि0 द्वारा स्थापित बायो रिसोर्स सेन्टर्स का संयुक्त कृषि निदेशक से स्थलीय निरीक्षण करा लिया जाए।
कृषि वि0वि0 फैजाबाद	240.57	विश्वविद्यालय को निर्देश दिए गए कि वर्ष 2011–14 की अवधि के धनराशि रू0 240.57 लाख के लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में विश्वविद्यालय को आगे से बजट उपलब्ध न कराया जाये।
कृषि वि0वि0 मेरठ	20.25	अवशेष धनराशि के सापेक्ष प्रस्तावित नवीन परियोजना को एस0एल0एस0सी0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा निर्देश दिए गए कि अनुमोदित कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराते हुए उपयोगिता प्रमाण–पत्र नोडल विभाग को उपलब्ध कराया जाए।
योग	1892.55	

3.4 समिति द्वारा वर्ष 2014–15 में कृषि एंव संवर्गीय विभागों द्वारा संचालित प्रमुख परियोजनाओं / कार्यक्रमों की गयी भौतिक उपलब्धियों का संज्ञान लिया गया। समिति द्वारा परियोजनावार / विभागवार निम्नवत् निर्देश दिए गए :–

3.4.1 सहकारिता विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2013–14 में 362 गोदामों तथा वर्ष 2014–15 में प्रस्तावित 338 गोदामों के सापेक्ष 114 (100 मी0 टन) के गोदामों का निर्माण पूर्ण करा कर समितियों को हस्तान्तरित कर दिये गए हैं। भारत सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा इंगित किया गया कि निर्मित गोदामों का "भाण्डागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण"-WDRA(Warehousing Development and Regulatory Authority) से प्रमाणित कराते हुए समितियों को हस्तान्तरित कराये जाए, जिस पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई तथा निर्देश दिए गए कि कार्यदायी संस्था द्वारा निर्मित गोदामों का WDRA से प्रमाणीकरण कराने के पश्चात ही समितियों को हस्तान्तरित किये जाए। समिति द्वारा यह

भी अपेक्षा की गई कि सहकारिता विभाग द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष अवशेष गोदामों को शीघ्र पूर्ण कराया जाए तथा निर्मित गोदामों के निर्माण कार्यों का स्वतंत्र थर्ड पार्टी मूल्यांकन भी कराया जाए।

3.4.2 कृषि विभाग द्वारा संचालित पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति के विस्तार की योजना (बी0जी0आर0ई0आई0) के प्रारम्भ वर्ष 2010–11 से वर्ष 2014–15 तक उपयोजना के संचालन से पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्पादन एवं उत्पादकता पर क्या प्रभाव रहा है, के संबंध में उपयोजना के प्रारम्भ होने से पूर्व तथा पश्चात की स्थिति का अध्ययन करा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गए।

एजेण्डा– 4:– वर्ष 2015–16 की वित्तीय स्थिति

4.1 वर्ष 2015–16 हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा फंडिंग पैटर्न 50:50 (केन्द्रांश:राज्यांश) के आधार पर कर दिया गया है। केन्द्र स्तर से आर0के0वी0वाई0–सामान्य हेतु रू0 347.94 करोड़ (रू0 173.97 करोड़ केन्द्रांश एवं रू0 173.97 करोड़ राज्यांश) तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति के विस्तार की योजना (BGREI) हेतु रू0 148.00 करोड़ (रू0 74.00 करोड़ केन्द्रांश एवं रू0 74.00 करोड़ राज्यांश) तथा क्राप डायवर्सिफिकेशन उपयोजना के लिए रू0 131.00 करोड़ (रू0 65.50 करोड़ केन्द्रांश एवं रू0 65.50 करोड़ राज्यांश) का एलोकेशन प्राप्त हुआ है। इस प्रकार, वर्ष 2015–16 हेतु योजनान्तर्गत कुल रू0 626.94 करोड़ (रू0 313.47 करोड़ केन्द्रांश एवं रू0 313.47 करोड़ राज्यांश) की धनराशि का मात्राकरण प्राप्त है।

4.2 राज्य स्तर पर गत वर्ष की अप्रयुक्त धनराशि के रूप में रू0 185.39 करोड़ उपलब्ध है। भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.04.2015 के द्वारा रू0 144.94 करोड़ का पुनर्वैधिकरण कर दिया गया है, जिसमें आर0के0वी0वाई0–सामान्य हेतु रू0 71.59 करोड़ एवं उपयोजनाओं की रू0 73.35 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है। वर्ष 2014–15 की अंतिम वित्तीय प्रगति रू0 526.41 करोड़ के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करते हुए सम्पूर्ण अप्रयुक्त धनराशि को वर्ष 2015–16 में शत–प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के रूप में उपयोग करने की सहमति के साथ पुनर्वैध करने का अनुरोध किया गया। भारत सरकार के पत्रांक–7-3/2015-RKVY दिनांक 12.06.2015 के द्वारा अप्रयुक्त धनराशि का वर्ष 2015–16 में शत–प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के रूप में उपयोग करने हेतु सहमति प्रदान कर दी गई है। समिति द्वारा स्थिति का संज्ञान लिया गया तथा निर्देश दिए गए कि सम्पूर्ण अप्रयुक्त धनराशि रू0 185.39 करोड़ का पुनर्वैधिकरण प्राप्त करते हुए धनराशि का उपयोग सुनिश्चित कराया जाए।

4.3 समिति द्वारा वर्ष 2014–15 की चालू (ongoing) परियोजनाओं के लिए अप्रयुक्त धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु विभागवार/परियोजनावार धनराशि के मात्राकरण का अनुमोदन प्रदान किया गया। परियोजनावार अनुमोदित धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रम	परियोजनाओं के नाम	स्कीम	मात्राकृत धनराशि	अभ्युक्ति
I	**Agriculture**			
1	Integrated cereal development programme-Rice	P	**1106.80**	समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2015–16 हेतु आई0सी0डी0पी0–चावल परियोजना हेतु रू0 1106.80 लाख की कार्ययोजना का अनुमोदन पत्रावली पर प्राप्त कर लिया गया है। समिति द्वारा कार्ययोजना का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करते हुए आई0सी0डी0पी0–गेहूँ योजना की अप्रयुक्त धनराशि के सापेक्ष रू0 1106.80 लाख का उपयोग खरीफ–15 में कराने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
2	Establishment of Govt. Seed Godown	I	**15.00**	जनपद–संतकबीर नगर में नवसृजित विकास खण्ड में राजकीय बीज गोदाम के निर्माण हेतु रू0 15.00 लाख का मात्राकरण किया गया।
	SubTotal		**1121.80**	
II	**Agriculture Finance Corp.**			
3	Customized Farmers Training and Extension through ICT	P	**90.82**	कार्यदायी संस्था द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों का Govt. surveyer से मूल्यांकन कराने के पश्चात धनराशि का भुगतान करने के निर्देश के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया।
III	**Sugarcane**			
4	Sugarcane seed production programme (2014-15)	P	**2323.62**	वर्ष 2014–15 के अवशेष कार्यों हेतु रू0 2323.62 लाख की सीमान्तर्गत ही परियोजना को संतृप्त करने के निर्देश के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया। यह भी निर्देश दिए गए कि प्राइमरी एवं फाउण्डेशन बीज हेतु प्रस्तावित अनुदान के कास्ट नार्म्स की सूचना तथा केटेगरीवाइज कृषि यंत्रों व प्रस्तावित व्यय रू0 141.00 लाख का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने के पश्चात ही धनराशि अवमुक्त की जाए। समिति द्वारा गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम के संचालन से प्रदेश स्तर पर क्या प्रभाव रहा, का अध्ययन करा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

क्रस	परियोजनाओं के नाम	मद	मात्राकृत धनराशि	अभ्युक्ति
IV	**U.P. seed certification agency**			
5	Strengthening of seed testing laboratories at Lucknow & Kanpur	I	**79.92**	समिति द्वारा रू0 79.92 लाख के अन्तर्गत ही परियोजना को संतृप्त करने के निर्देश के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया।
V	**UP Agro**			
6	Construction of boundary wall and CC tile road in Agrimart at Hapur	**I**	**23.27**	समिति द्वारा रू0 23.27 लाख के अन्तर्गत ही परियोजना को संतृप्त करने के निर्देश के साथ धनराशि मात्राकृत की गई। इस मद में अग्रेतर कोई भी धनराशि स्वीकृत नहीं की जाएगी। यदि परियोजना लागत में कोई बढोत्तरी होती है तो यू0पी0 एग्रो को उसका व्यय भार उठाना होगा। इस आशय का प्रमाण पत्र यू0पी0 एग्रो से प्राप्त कर लिया जाए।
VI	**Horticulture**			
7	Nursery seedling raising in low tunnel polynet and production of high value vegetables	P	267.65	समिति द्वारा रू0 267.65 लाख के अन्तर्गत ही परियोजना को संतृप्त करने के निर्देश दिए गए।
8	Horticulture development programme for 30 Non-NHM districts	P	654.69	समिति द्वारा रू0 654.69 लाख के अन्तर्गत ही परियोजना को संतृप्त करने के निर्देश दिए गए।
	SubTotal		**922.34**	
VII	**Sericulture**			
9	Quality silkworm seed production, seed incubation and increase in cocoon production and productivity	I	**200.00**	परियोजनान्तर्गत रू0 200.00 लाख की धनराशि निर्माण कार्यों हेतु मात्राकृत की गई।
VIII	**Animal Husbandry**			
10	Strengthening & Modernization of Govt. Livestock farms	I	**102.04**	समिति द्वारा रू0 102.04 लाख के अन्तर्गत ही परियोजना को संतृप्त करने के निर्देश दिए गए।
11	Eradication of Anna Pratha	P	**181.10**	समिति द्वारा रू0 181.10 लाख की धनराशि परियोजना के संतृप्तिकरण हेतु मात्राकृत की गई।
	SubTotal		**283.14**	
IX	**PCDF**			
12	By Pass Protein feed Plant 100 MT per day at Ambedkarnagar	I	**920.00**	परियोजना हेतु प्रस्तावित लागत रू0 1840.22 लाख के सापेक्ष रू0 920.00 लाख की धनराशि का मात्राकरण इस प्रतिबंध के साथ किया गया कि परियोजना के संबंध में भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

क्रम	परियोजनाओं के नाम	श्रेणी	मात्राकृत धनराशि	अभ्युक्ति
X	**Minor Irrigation**			
13	Minor Irrigation works (deep/medium deep and community tube well with water distribution system/ HDPE pipe)	I	**482.07**	समिति द्वारा रू0 482.07 लाख के अन्तर्गत ही परियोजना को संतृप्त करने के निर्देश दिए गए।
XI	**Irrigaton**			
14	Removal of Seepage and water logging near canal	I	20.00	समिति द्वारा रू0 20.00 लाख के अन्तर्गत ही परियोजना को संतृप्त करने के निर्देश दिए गए।
15	Dr. Ram Manohar Lohia project for restoration of 806 defunct state tube wells	I	204.52	समिति द्वारा रू0 204.52 लाख के अन्तर्गत ही जनपद–हरदोई एंव फतेहपुर के 243 अक्रियाशील राजकीय नलकूपों को क्रियाशील करने के निर्देश के साथ मात्राकरण किया गया।
	SubTotal		**224.52**	
XII	**Fisheries**			
16	Promotion of aeration system for intensified fish culture	I	0.32	समिति द्वारा विभाग की 05 परियोजनाओं हेतु रू0 259.23 लाख की धनराशि की सीमान्तर्गत परियोजनाओं को संतृप्त करने के निर्देश के साथ धनराशि का मात्राकरण किया गया।
17	Establishment of Carp Hatchery	I	12.00	
18	Enhancement of fish production through sustainable supply of quality inputs to fish farmers	P	234.14	
19	Capacity building for fisheries production in Balarampur	P	**4.16**	
20	Establishment of Giant fresh water Prawn hatchery	I	**8.61**	
	SubTotal		**259.23**	
XIII	**Fisheries dev. Corporation**			
21	Renovation & Up-gradation works of Hatcheries	I	**150.18**	समिति द्वारा रू0 150.18 लाख के अन्तर्गत ही परियोजना को संतृप्त करने के निर्देश दिए गए।
XIV	**CSAUAT, Kanpur**			
22	Establishment of Potato Research Centre at Kanpur	I	47.00	समिति द्वारा रू0 47.00 लाख के अन्तर्गत ही परियोजना को संतृप्त करने के निर्देश दिए गए।
23	Farmers' empowerment for high harvest of pulses in central plain zone of U.P. through participatory approach	P	28.62	समिति द्वारा रू0 28.62 लाख के अन्तर्गत ही परियोजना को संतृप्त करने के निर्देश दिए गए।
24	Participatory veg. quality seed production to enhance vegetable production in U.P.	P	10.75	समिति द्वारा रू0 10.75 लाख के अन्तर्गत ही परियोजना को संतृप्त करने के निर्देश दिए गए।
	SubTotal		**86.37**	

क्रस	परियोजनाओं के नाम	मद	मात्राकृत धनराशि	अभ्युक्ति
XV	**Banaras Hindu University**			
25	Training cum demo. of microbials fortified organic manure to boost wheat, rice and the pulse production in Varanasi and Chanduali	P	20.00	रू0 20.00 लाख की धनराशि के अन्तर्गत ही परियोजना को संतृप्त करने के निर्देश दिए गए।
26	Seed production through participatory approach for farmers of Eastern UP	P	30.00	परियोजनान्तर्गत 10 एफ0पी0ओ0 गठन के लक्ष्य के सापेक्ष गठित 3 एफ0पी0ओ0 के कार्यों को संतृप्त करने हेतु रू0 30.00 लाख की धनराशि अनुमोदित की गई। इस मद में अग्रेतर कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।
	SubTotal		**50.00**	
XVI	**Administrative**	P	175.00	योजना के अनुश्रवण कार्यों हेतु रू0 175.00 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।
	Total Normal RKVY		**7392.28**	
Sub-schemes				
1	**Agriculture**			
	Extending green revolution in Eastern districts of U.P (BGREI)	S	2946.00	उपयोजना की अप्रयुक्त धनराशि रू0 2946.00 लाख का उपयोग वर्ष 2015–16 में अनुमोदित कार्यक्रमों के अन्तर्गत करने के निर्देश दिए गए।
2	**DASP**			
	Crop Diversification programme	S	6806.80	रू0 6806.80 लाख (राज्य स्तर पर रू0 6549.38 लाख एवं डास्प के स्तर पर कोषागार से आहरित रू0 257.42 लाख) का मात्राकरण वर्ष 2015–16 की अनुमोदित कार्ययोजना के अन्तर्गत करने के निर्देश दिए गए।
3	**National Mission for Protein Supplements (NMPS)**			
	A-Reservoir fisheries development (Fisheries)	S	118.08	रू0 118.08 लाख की सीमान्तर्गत परियोजना को संतृप्त करने के निर्देश दिए गए।
	B- Pig Development Scheme (Animal Husbandry)	S	144.98	रू0 144.98 लाख का अनुमोदन इस निर्देश के साथ प्रदान किया गया कि रू0 54.52 लाख उपयोजना की उपलब्ध पुनर्वैधित धनराशि से तथा अवशेष धनराशि रू0 90.46 लाख का वित्त पोषण आर0के0वी0वाई0–सामान्य के फ्लैक्सी फण्ड से कराया जाए।
	Sub Total NMPS		**263.06**	
4	Vegetable Inititative for Urban Cluster (VIUC)	S	387.13	कार्यहित में सम्यक् विचारोपरान्त उपयोजना के अवशेष कार्यों को संतृप्त करने हेतु रू0 387.13 लाख का मात्राकरण वर्ष 2015–16 के लिए किया गया।
	Total (Sub scheme)		**10422.99**	
	GRAND TOTAL		**17795.27**	

- उपरोक्त के अतिरिक्त समिति द्वारा यह भी अपेक्षा की गई कि प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा योजनान्तर्गत क्या कार्य कराए गए हैं, का प्रस्तुतीकरण सम्बन्धित विश्वविद्यलयों द्वारा समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।
- वित्तीय वर्ष 2014–15 में सहकारिता विभाग द्वारा गोदामों के निमार्ण हेतु रू0 7000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी जिसमें से धनराशि रू0 6700.01 लाख आहरित कर अवमुक्त की गयी थी तथा शेष 05 प्रतिशत धनराशि रू0 299.99 लाख को शासनादेश के अनुसार रोका गया। विभाग द्वारा गोदामों के निर्माण को पूर्ण कराने हेतु शेष धनराशि रू0 299.99 लाख को वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये मात्राकरण हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा समयक् विचारोपरान्त निर्देश दिये गये कि विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में निर्मित गादामों की स्थिति से अवगत कराते हुए मात्राकरण का प्रस्ताव अलग से पत्रावली पर प्रस्तुत किया जाये।
- गन्ना विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि गन्ना बीज उत्पादन परियरोजनान्तर्गत गत वर्ष में रू0 95.10 लाख की धनराशि का कोषागार से आहरण न हो पाने के कारण अवशेष रह गई थी, जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में अवमुक्त करने की माँग की गई है। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्देश दिए गए कि प्रस्ताव को अलग से पत्रावली पर प्रस्तुत किया जाए। प्रकरण में निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष, राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति को अधिकृत किया गया।

4.4 समिति द्वारा विगत बैठक दिनांक 19.02.2015 में वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु अनुमोदित परियोजनाओं के लिए विभाग/परियोजनावार धनराशि को निम्नानुसार मात्राकरण करते हुए अनुमोदित किया गया :–

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र.सं.	विभाग/परियोजना का नाम	एस0एल0एस0सी0 द्वारा अनुमोदित धनराशि	मात्राकृत धनराशि
Production and Growth			
I	**Agriculture**		
1	Soil nutrient management through "Apni Mitti Pahchano Abhiyan"	1550.00	750.00
2	Saturation of selected village with Kisan Credit Card under Dr. RML Village Development Scheme	11.50	11.50
	SubTotal		**761.50**
II	**Animal Husbandry**		
3	Production of fodder seed at Govt. Farms for distribution to Pashupalak.	201.18	201.18
III	**Fisheries**		
4	Solar pump system for water supply at Govt. fish farm	206.88	206.88

क्र.सं.	विभाग / परियोजना का नाम	एस0एल0एस0सी0 द्वारा अनुमोदित धनराशि	मात्राकृत धनराशि
IV	Administrative expenses		**126.64**
	Total (Production Growth)		**1296.20**
Infrastructure and Assets			
I	**Agriculture**		
5	Establishment of solar photovoltaic pumps for irrigation at Govt Agriculture farms	555.00	555.00
6	Strengthening of fertilizer, pesticide and biofertilizer labs	50.00	50.00
	SubTotal		**605.00**
II	**Animal Husbandry**		
7	Strengthening/modernization of Govt. livestock farms at Niblet, Barabanki	262.00	262.00*
8	Strengthening and upgradation of State vaccine production programme	589.11	589.11
	SubTotal		**851.11**
III	**Fisheries**		
9	Strengthening of fisheries cooperative infrastructure through U.P. fisheries cooperative federation	**55.57**	**55.57**
IV	**UP Livestock Development Board**		
10	Strengthening and modernization of deep frozen semen station	796.00	796.00
	Total (Infrastructure and Asset)		**2307.68**
	Grand total (Production + Infrastructure)		**3603.88**

* कार्यहित में सम्यक् विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा– 5:– एस0एल0एस0सी0 से पूर्व अनुमोदित परियोजनाओं में कतिपय संशोधनों पर विचार

5.1 सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक वि0वि0, मेरठः– Establishment of Centre of Excellence for Sanitary & Phytosanitary (SPS), certification, Research and Training रू0 20.25 लाखः– विश्वविद्यालय स्तर पर उपलब्ध बचत की धनराशि रू0 20.025 लाख के सापेक्ष प्रस्तावित नवीन परियोजना प्रस्ताव के अन्तर्गत धनराशि के उपयोग का अनुमोदन इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया गया कि प्रस्तावित कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाये। परियोजना हेतु पृथक से कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

एजेण्डा– 6. वर्ष 2015–16 हेतु परियोजना प्रस्तावों का अनुमोदन

6.1 समिति के समक्ष वर्ष 2015–16 हेतु एस0एल0पी0एस0सी0 से संस्तुत विभिन्न विभागों/संस्थाओं के परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के संबंध में निम्नवत् निर्णय/निर्देश दिए गए :–

6.1.1 Production and Growth

धनराशि रू0 लाख में

S.N.	Name of Project	Approved Amount	Remarks
Agriculture			
1	Integrated Cereals Development Programme-Wheat	**4000.00**	समिति द्वारा ICDP-Wheat परियोजना हेतु रू0 4000.00 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।
2	Seed production programme at Govt. agriculture farms	**900.00**	समिति द्वारा रू0 900.00 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।
3	Increasing stress tolerant rice varieties though seed production linked cluster demonstration in Eastern U.P.	**150.00**	समिति द्वारा यथा प्रस्ताव रू0 150.00 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।
4	Assessment of Crop yield in demonstrated field under various components	**20.00**	समिति द्वारा यथा प्रस्ताव रू0 20.00 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।
	Sub-total	**5070.00**	
SIMA, Rehmankhera			
5	Farm machinery and equipment testing	**16.88**	समिति द्वारा रू0 16.88 लाख का अनुमोदन इस प्रतिबंध के साथ प्रदान किया गया कि परियोजना का वित्त पोषण भविष्य में इस योजना से न किया जाए।
Horticulture			
6	Horticulture development in 30 Non-NHM districts	**350.00**	समिति द्वारा रू0 350.00 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।
Livestock Dev. Board			
7	Use of sex sorted semen in cows	**126.43**	यथा प्रस्ताव रू0 126.43 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।
	Total (Production)	**5563.31**	

6.1.2 Infrastructure and assets:-

S.N.	Name of Project	Recommended Amount	Remarks
Agriculture			
8	Reclamation of Sodic soil of Govt. farms	98.39	यथा प्रस्ताव रू0 98.39 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।
9	Infrastructure and assets development at Govt. Agricultural farms	750.00	समिति द्वारा बाउन्ड्रीवाल के स्थान पर तारबाड़ के कार्यों हेतु परियोजना लागत रू0 750.00 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।

S.N.	Name of Project	Recommended Amount	Remarks
10	Strengthening of Fertilizer Quality Control labs	263.34	समिति द्वारा परियोजना लागत रू0 263.34 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।
	Sub-total	**1111.73**	
	Total (Infrastructure)	**1111.73**	

6.1.3 Sub-scheme:-

S.N.	Name of Project	Recommended Amount	Remarks
11	Bringing green revolution to Eastern India (BGREI)	**14405.92**	समिति द्वारा उपयोजना हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत रू0 14405.92 लाख के अन्तर्गत कार्यमद में रू0 14263.29 लाख (99 प्रतिशत) एवं कन्टीजेंसी मद में रू0 142.63 लाख (01 प्रतिशत) का अनुमोदन प्रदान किया गया। उपयोजनान्तर्गत प्रस्तावित 1000 मै0 टन भण्डारण क्षमता के मण्डी समिति के माध्यम से निर्मित कराए जाने वाले 08 गोदामों के सम्बन्ध में विस्तृत आगणनकों सहित पत्रावली पर परीक्षणोंपरान्त प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। प्रकरण में निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष, राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति को अधिकृत किया गया।
12	Crop diversification in Western U.P.	**6806.80**	गत वर्ष की अप्रयुक्त धनराशि रू0 6806.80 लाख को पुराने फण्डिंग पैटर्न के आधार पर पुनर्वैध कराकर व्यय किये जाने हेतु रू0 6806.80 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया। तद्नुसार कार्ययोजना को संशोधित कर, अध्यक्ष के अनुमोदनोंपरान्त क्रियान्वित किया जाए।
	Total (Sub scheme)	**21212.72**	
	Grand total	**27887.76**	

भारत सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा इंगित किया गया कि आर0के0वी0वाई0 की संशोधित गाइड लाइन के अनुसार आर0के0वी0वाई0–सामान्य के फंड का उपयोग उत्पादन एवं वृद्धि (43.75 प्रतिशत), अवस्थापना एवं परिसम्पत्ति सृजन (43.75 प्रतिशत) एवं फ्लैक्सी फंड (12.50 प्रतिशत) की निर्धारित सीमा के अनुसार ही किया जाए, जिस पर समिति द्वारा

सहमति व्यक्त की गई। समिति द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि बैठक में अनुमोदित नवीन परियोजनाओं के वित्त पोषण से पूर्व भारत सरकार के प्राप्त अभिमत/टिप्पणी का संज्ञान अवश्य लिया जाए एवं यथा निर्देश अनुमोदन आदि की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कराई जाए।

एजेण्डा–7:– आर0के0वी0वाई0 अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं के मूल्यांकन के सम्बन्ध में:–

7.1 समिति द्वारा योजनान्तर्गत संचालित परियोजनाओं के स्वतंत्र थर्ड पार्टी मूल्याँकन हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों के सम्बन्ध में इंगित किया गया कि उपकार, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, नैब्कॉन्स एवं राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली की दरें पृथक–पृथक हैं। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रमुख सचिव, कृषि की अध्यक्षता में मूल्याँकन प्रस्तावों के परीक्षण हेतु समिति के गठन का अनुमोदन प्रदान किया गया तथा गठित समिति में प्रमुख सचिव, वित्त एवं प्रमुख सचिव, नियोजन द्वारा नामित प्रतिनिधियों को सदस्य के रुप में सम्मिलित करने के निर्देश दिए गए। गठित समिति द्वारा मूल्याँकन प्रस्तावों का परीक्षण करते हुए समरूप दरों का निर्धारण किया जाए। यह कार्यवाही एक माह में पूर्ण कर ली जाए। तद्नुसार मूल्यांकन प्रस्ताव को अनुमोदित करने हेतु अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

एजेण्डा–8:– अन्य विषय

अन्य विषय के अन्तर्गत अध्यक्ष की अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गए :–

8.1 कृषि विभाग की Contingent plan for Kharif - 2015 लागत रू0 1500.00 लाख की परियोजना समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त परियोजना लागत रू0 1500.00 लाख का अनुमोदन इस प्रतिबंध के साथ प्रदान किया गया कि परियोजना के वित्त पोषण के संबंध में भारत सरकार का अनुमोदन भी शीघ्रता से प्राप्त कर लिया जाए।

8.2 लोक लेखा समिति द्वारा अपेक्षित प्रकरणों पर विचार :–

8.2.1 समिति को अवगत कराया गया कि 31.03.2013 समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के प्रधान महालेखाकार द्वारा किए गए आर0के0वी0वाई0 के परफारमेंस आडिट में रेशम विभाग की "प्रदेश में रेशम कोया उत्पादन, धागाकरण इकाईयों का सुदृढ़ीकरण, सिल्क एक्सचेंज, मार्केटिंग सूचना एवं राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना" परियोजना हेतु वर्ष 2008–09 के लिए रू0 1096.80 लाख का अनुमोदन एस0एल0एस0सी0 द्वारा प्रदान किया गया था। परियोजनान्तर्गत राजकीय रेशम फार्मों के तारबाड़ हेतु रू0 0.30 लाख प्रति एकड़ की दर से

अनुमानित लागत के आधार पर अनुमोदित था। रेशम विभाग द्वारा पैक्फेड को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए तारबाड़ के कार्यों हेतु वास्तिविक आगणन पी0डब्ल्यू0डी0 के शेड्यूल रेट पर रनिंग मीटर तैयार कराए गए तथा सम्पादित कार्यों के भुगतान पर रू0 703.90 लाख व्यय किये गए, जिस पर प्रधान महालेखाकार के आडिट में आपत्ति की गई। लोक लेखा समिति की बैठक दिनांक 17.06.2015 में रेशम विभाग द्वारा प्रस्तुत व्याख्यात्मक टिप्पणी पर विचार किया गया, जिसमें पी0डब्ल्यू0डी0 के शेड्यूल रेट पर कराए गए कार्यों तथा भुगतान के संबंध में एस0एल0एस0सी0 का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

समिति द्वारा रेशम विभाग के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदन प्रदान किया गया :–

(क) पैक्सफेड, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा जिस आगणन के सापेक्ष उक्त कार्य कराए गए हैं, उक्त आगणन का परीक्षण लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता से करा लिया जाए कि आगणन पी0डब्ल्यू0डी0 शिड्यूल्ड रेट पर ही बनाया गया है।

(ख) रेशम विभाग आवश्यक स्थलीय निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे कि परियोजना के अनुरूप कार्य सम्पादित किया गया है और जो भुगतान कर दिया गया है वह नियमानुसार अनुमन्य है।

समिति द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि भविष्य में समस्त विभाग निर्माण कार्यों का आगणन यू0पी0 पी0डब्ल्यू0डी0 शिड्यूल्ड रेट पर नियमानुसार गठित करें।

8.2.2 समिति को अवगत कराया गया कि लोक लेखा समिति द्वारा यह भी अपेक्षा की गई है कि आर0के0वी0वाई0 अर्न्तगत निष्पादित कार्यों के सतत् एवं प्रभावी अनुश्रवण हेतु प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को शासन स्तर से निर्देश निर्गत कराए जाएं, जिस पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई। प्रमुख सचिव, कृषि तद्नुसार अध्यक्ष की ओर से निर्देश शीघ्र जारी कराएं।

8.2.3 लोक लेखा समिति की आगामी बैठक में परिपालन के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने हेतु कृषि विभाग द्वारा आर0के0वी0वाई0 के प्रशासनिक मद से वर्ष 2008 से 2013 तक कृषि निदेशालय में आर0के0वी0वाई0 प्रकोष्ठ के गठन, विद्युत कार्य एवं जलापूर्ति आदि कार्यों पर किए गए व्यय रू0 113.00 लाख का प्रस्ताव कार्योत्तर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त धनराशि रू0 113.00 लाख का कार्योत्तर अनुमोदन इस प्रतिबंध के साथ प्रदान किया गया कि कृषि निदेशालय द्वारा यह पुष्टि की जाए कि कराए गए कार्यों में कोई भी कार्य आर0के0वी0वाई0 गाइड लाइन की प्रतिबन्धित सूची से आच्छादित नहीं है और नियमानुसार अनुमन्य धनराशि के अन्तर्गत है।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

आलोक रंजन
मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग–3
संख्या – 1130 /12–3–2012–199/2007
लखनऊः दिनांक 07 जुलाई 2015

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य, कृषि एवं सह0 विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सलाहकार, कृषि, केन्द्रीय योजना आयोग, भारत सरकार, योजना भवन, नई दिल्ली।
6. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
7. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
8. प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
9. प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
10. प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
11. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
12. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
13. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
14. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
15. प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
16. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
17. प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
18. प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
19. प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
20. प्रमुख सचिव, रेशम विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
21. गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
22. निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उ0प्र0 लखनऊ।
23. महानिदेशक, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ।
24. कुलपति, नरेन्द्र देव, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
25. कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर।
26. कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ।
27. कुलपति, डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
28. कुलपति, पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान वि0वि0 एवं गौ अनु0 संस्थान, मथुरा।
29. कुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
30. निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

31. निदेशक, बीज प्रमाणिकरण, संस्था उ0प्र0, लखनऊ।
32. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
33. निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
34. निदेशक, मत्स्य विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
35. निदेशक, रेशम विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
36. निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
37. निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (नेडा) लखनऊ।
38. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
39. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
40. परियोजना समन्वयक, कृषि विविधीकरण परियोजना उ0प्र0 लखनऊ।
41. मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
42. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
43. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 बीज विकास निगम, लखनऊ।
44. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम, लखनऊ।
45. प्रबन्ध निदेशक, कृषि वित्त विकास निगम लि0, 21, विधानसभा मार्ग, लखनऊ।
46. प्रबन्ध निदेशक, नैफेड, सिद्धार्थ इन्क्लेव, आश्रम चौक, रिंग रोड, नई दिल्ली।
47. प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0, लखनऊ।
48. नोडल अधिकारी रा.कृ.वि.यो., उ.प्र. कृषि भवन, लखनऊ।

आज्ञा से

(यशवन्त राव)
विशेष सचिव